न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 109 / 2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. बुधाराम पुत्र जेठाराम 2. धनाराम पुत्र जेठाराम 3. पीराराम पुत्र जेठाराम 4. जोगाराम पुत्र जेठाराम जातियान राईका निवासी उंचिया तहसील सिणधरी, बालोतरा।	1. बांकाराम पुत्र प्रागाराम 2. गीगाराम पुत्र प्रागाराम 3. मोकूदेवी पुत्री वगताराम जातियान राईका निवासी सड़ा झुण्ड हाल निवासी उंचिया तहसील सिणधरी, बालोतरा। 4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दांखा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सांरण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण सं. 5 के पैरोकार उपस्थित शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 10.09.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– उंचिया पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 130, 1803/214, 219 कुल रकबा 16.9242 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त [illegible] बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु आदेश किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके पर [illegible] प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– उंचिया पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 130, 1803/214, 219 कुल रकबा 16.9242 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर

सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	जोगाराम हि. 1/4 धनाराम हि. 1/4 पीराराम हि. 1/4 बुधाराम हि. 1/4 पुत्र जेठाराम जाति राईका सा. देह खातेदार	उंचिया	130	5.2423	बा.सो.		बैंगनी
			1803/214	0.4989	बा.दो.		
			1803/214	2.0333	बा.दो		
			219	0.6876	बा.दो		
		कुल	4	8.4621			
2.	गीगाराम हि. 1/4 बांकाराम हि. 1/4 पुत्र प्रागाराम मोकूदेवी पुत्री वगताराम हि. 1/2 जाति राईका सा. सड़ा झुण्ड खातेदार रहन– मोकूदेवी का हि. SBI शाखा दाखां।	उंचिया	130	5.2423	बा.सो		हरा
			1803/214	1.5415	बा.दो		
			1803/214	0.9906	बा.दो		
			219	0.6877	बा.दो		
		कुल	4	8.4621			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.29 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested